छत्तीसगढ़ स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन लिमिटेड,

ब्लाक नं.–7 ए, द्वितीय तल, आफिस कॉम्प्लेक्स, सेक्टर–24, मुख्यालय अटलनगर, नवा रायपुर (छ.ग.)
Phone & Fax : 0771-2973480 Email Id : nanheadoffice@gmail.com

क्रमांक/चना क्रय/ई–निविदा/2022–23/76 नवा रायपुर, दिनांक : 01/06/22

आंशिक संशोधन सूचना

निगम मुख्यालय के पत्र क्रमांक/चना क्रय/ई–निविदा/2022–23/61 नवा रायपुर, दिनांक 20.05.2022 द्वारा चना क्रय समूह क्रमांक–3 (जिला–जांजगीर–चांपा, रायगढ़, जशपुर एवं सरगुजा) हेतु दिनांक 09.06.2022 तक आमंत्रित किये गये ई–निविदा दस्तावेज के परिशिष्ट–2 पेज क्र.–10 के बिन्दु क्र.–16 (अ) में निम्नानुसार आंशिक संशोधन किया जाता है :–

निविदा में उल्लेखित	आंशिक संशोधन अनुसार पढ़ा जावे
निविदा स्वीकृत होने की दशा में निविदा स्वीकृति दिनांक से अधिकतम 10 दिवस के अंदर निविदाकार को कार्पोरेशन के साथ अनुबंध निष्पादित करना अनिवार्य है। अनुबंध निष्पादन उपरांत निविदाकार यदि चाहे तो निविदा के साथ जमा ई.एम.डी. राशि से 3.34 करोड़ रूपये को किसी राष्ट्रीयकृत/शेड्यूल बैंक द्वारा 16 माह के लिये वैध एवं स्थान छत्तीसगढ़–रायपुर भुगतान योग्य एफ.डी.आर. / बैंक गारंटी (Operable at Raipur), प्रबंध संचालक, छत्तीसगढ़ स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन लिमिटेड, रायपुर के पक्ष में करने के उपरांत ई.एम.डी.राशि वापस प्राप्त कर सकेगा।	निविदा स्वीकृत में प्राप्त दर स्वीकृत होने की दशा में अधिकतम **07 दिवस** के अंदर निविदा में पात्र सफल निविदाकार को क्रय आदेश जारी करने के पूर्व वास्तविक **वार्षिक क्रय मूल्य का** कम से कम 3 (तीन) प्रतिशत सुरक्षा निधि राशि निगम के पक्ष में जमा कर अनुबंध निष्पादित करना अनिवार्य होगा। जमा किये जाने वाले जमानत राशि में निविदा के साथ जमा किये गये EMD राशि को समायोजन किया जावेगा। अनुबंध निष्पादन उपरांत निविदाकार यदि चाहे तो निविदा के साथ जमा किये गये जमानत (सुरक्षा निधि) राशि के एवज में किसी राष्ट्रीयकृत/शेड्यूल बैंक द्वारा **16 माह के लिये वैध** एवं स्थान–छत्तीसगढ़–रायपुर भुगतान योग्य एफ.डी.आर./ बैंकगारंटी (Operable at Raipur), प्रबंध संचालक, छत्तीसगढ़ स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन रायपुर के पक्ष में करने के उपरांत जमानत (सुरक्षा निधि) राशि वापस प्राप्त कर सकेगा।

(प्रबंध संचालक महोदय द्वारा अनुमोदित)

ए.जी.एम. (चना)